सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***

कार्तिक 19, मंगलवार, शाके 1942–नवम्बर 10, 2020

Kartika 19, Tuesday, Saka 1942–November 10, 2020

भाग-1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 10, 2020

राजस्थान तृतीय पक्ष कारखाना निरीक्षण योजना

एफ -1 (ईओडीबी) 2019 / पीएस / 00580/606 :- राज्य में ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और कारखाना अधिनियम, 1948 एवं इसके अंतर्गत बने नियमों के तहत पंजीकृत कारखानों के निरीक्षण को और सरल बनाने के लिए, राज्य सरकार "राजस्थान तृतीय पक्ष कारखाना निरीक्षण योजना" को निम्नानुसार एतद् द्वारा घोषित करती है-

1. इस योजना के लिए "तृतीय पक्ष ", व्यक्ति अथवा एजेंसी जो ऐसे व्यक्ति को नियोजित करेगी-

    अ. राजस्थान राज्य के निवासी ।

    ब. योग्यता

        क. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल या प्रोडक्शन या पावर प्लांट या धातुकर्म या केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त।

    स. अनुभव

        क. 10 वर्ष का न्यूनतम अनुभव

            1. 250 या अधिक श्रमिकों के लिए उक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखाने में उत्पादन या संचालन या रखरखाव अथवा

            2. किसी भी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज या तकनीकी विश्वविद्यालय में शिक्षाविद या अनुसंधान;

    द. आयु सीमा - 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और शारीरिक रूप से फिट होनी चाहिए।

    य. इस योजना के तहत आधिकारिक RajFAB वेब एप्लिकेशन पर वैध प्रमाण पत्र जारी किया गया हो ।

2. आवेदन प्रक्रिया और "तृतीय पक्ष" की मान्यता -

    अ. आवेदक आधिकारिक RajFAB वेब एप्लिकेशन पर ऑनलाइन आवेदन करेगा ।

    ब. मुख्य निरीक्षक, आवेदक की योग्यता और अनुभव तथा शारीरिक स्वस्थता से संतुष्ट होने पर इस योजना के तहत प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है ।

3. तृतीय पक्ष के लिये कारखानों के निरीक्षण का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राजस्थान होगा ।

4. तृतीय पक्ष कारखाना निरीक्षण के लिए प्रक्रियाएं-

अ. कारखाने के कब्जेदार के लिए -

क. योजना वैकल्पिक होगी और कोई भी कब्जेदार अपने कारखाने का निरीक्षण तृतीय पक्ष द्वारा करवाने का चयन ऑनलाइन विभागीय आधिकारिक RajFAB वेब एप्लिकेशन पर कर सकेगा ।

ख. बाद में कब्जेदार योजना का फिर से चयन तभी कर सकता है, जब निरीक्षण का अनुपालन ऑनलाइन प्रस्तुत कर चुका होगा ।

ब. तृतीय पक्ष के लिये -

क. निरीक्षण की तारीख का ऑनलाइन प्रस्ताव देगा;

ख. निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट को विभाग की प्रक्रियाओं के अनुसार विभागीय आधिकारिक RajFAB वेब एप्लिकेशन पर ऑनलाइन अपलोड करेगा ।

5. तृतीय पक्ष की सीमाएं और कर्तव्य -

अ. दुर्घटनाओं, शिकायतों के मामले में कारखानों का निरीक्षण नहीं करेगा ।

ब. मुख्य निरीक्षक द्वारा निषिद्ध होने पर किसी भी वर्ग या प्रकार या क्षेत्र के कारखानों का निरीक्षण नहीं करेगा ।

स. मुख्य निरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन करेगा ।

द. प्रक्रिया निर्धारण अनुसार मुख्य निरीक्षक को रिपोर्ट करेगा ।

6. प्रतिसंहरण- राज्य सरकार किसी भी तृतीय पक्ष के प्रमाण पत्र को किसी भी समय सीमित अवधि या हमेशा के लिए रद्द कर सकती है –

अ. तृतीय पक्ष को किसी भी तरह की विनिर्माण गतिविधि / ओद्योगिक गतिविधि में संलिप्त पाये जाने पर;

ब. लिखित रूप में बताये गये किसी भी अन्य आधार पर ।

7. कोई भी तृतीय पक्ष कारखाने की किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया या वाणिज्यिक व्यवसाय या किसी भी कार्य प्रक्रिया से संबंधित किसी भी जानकारी को विभाग या स्थानीय प्रशासन को छोड़कर किसी को उजागर नहीं करेगा जो ऐसे निरीक्षणों के दौरान उसके ज्ञान में आती है ।

राज्यपाल के आदेश से,

मुकेश जैन,

मुख्य निरीक्षक सह उप सचिव,

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

FACTORIES & BOILERS INSPECTION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, November 10, 2020

The Rajasthan Third Party Factory Inspection Scheme

F-1(EODB)2019/PS/00580/606 :-To achieve the Ease of Doing Business and to further simplify the inspection of registered factories under the Factories Act, 1948 and rules

made thereunder in the State, the State Government hereby declares **"The Rajasthan Third Party Factory Inspection Scheme"** as follows-

1. "**Third Party"** for this Scheme, shall be a person or an agency employing person-
   a. Resident/domicile of the Rajasthan State.
   b. Qualification
      i. A degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgy or Chemical Engineering from a recognized institute.
   c. Experience
      i. A minimum experience of 10 years' in-
         1. production or operation or maintenance in a factory registered under the said Act for 250 or more workers or
         2. academics or research in any recognized engineering college or technical university;
   d. Age limit– has not attained the age of 62 years and should be physically fit.
   e. Having a valid certificate issued under this scheme on the official RajFAB web application.

2. Application procedure and recognition of "**Third Party"** –
      i. Applicant shall apply online on the official RajFAB web application.
      ii. The Chief Inspector, on satisfying the qualification and experience of the applicant, may issue certificate under this scheme with the conditions as he deems fit.

3. Area of Inspection for Third Party for Third Party Factory Inspection shall be whole Rajasthan.

4. Procedures for third party factory inspection –
   a. For the **occupier** of the factory. –
      i. The scheme shall be optional and any occupier can opt online on the Departmental Official RajFAB web application to get his/her factory inspected by a Third Party.
      ii. Subsequently the occupier can re-opt for the scheme only if the compliance of the inspection is submitted online.
   b. For **Third Party**. –
      i. Proposes date of inspection online;
      ii. carry out inspection and the report should be uploaded online on the Departmental Official RajFAB web application as per the procedures of the department.

5. Limitation and duties of Third Party–
         1. Shall not inspect factories in case of accidents, complaints.
         2. Shall not inspect factories of any class or type or area if prohibited by the Chief Inspector.
         3. Shall comply with instructions and guidelines issued by the Chief Inspector.
         4. Shall report to the Chief inspector as may be prescribed.

6. Revocation– The State Government may revoke the certificate of any Third Party at any time for a limited period or forever if-

a. Third Party found to be engaged in any kind of manufacturing activity/industrial activity;

b. on any other grounds stated in writing.

7. No Third Party shall disclose any information relating to any manufacturing or commercial business or any working process which may come to his knowledge during such inspections except to the department or local administration.

By order of the Governor,
Mukesh Jain,
Chief Inspector cum Deputy Secretary,
Factories & Boilers Inspection Department.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।